SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

lj dkj }kjk fn0;kxk d fy, pykÃ xÃ ;kstukvk d ykHk ,o mud lkekftd Lrj e lèkkj dk vè;;u

T;kfr pUnfj;k] शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत
vf[ky'k dekj xIrk] (Ph.D.) समाजशास्त्र विभाग
शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors
T;kfr pUnfj;k] शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत
vf[ky'k dekj xIrk] (Ph.D.) समाजशास्त्र विभाग
शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 06/02/2023
Revised on : -----
Accepted on : 20/02/2023
Plagiarism : 01% on 06/02/2023

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
Overall Similarity: **1%**
Date: Feb 6, 2023
Statistics: 19 words Plagiarized / 1754 Total words
Remarks: Low similarity detected, check with your supervisor if changes are required.

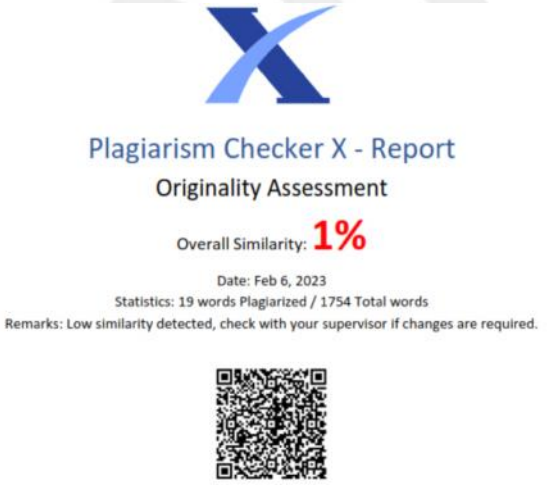

'kks/k lkj

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजनाओं के लाभ एवं उनके सामाजिक स्तर में सुधार का अध्ययन करना है। दिव्यांग बालक–बालक (बच्चे) जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व अन्य व्यवहार के कारण अपनी आयु के अन्य (सामान्य) बालकों से भिन्न होते हैं, वे विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। शोधार्थी द्वारा मध्यप्रदेश के ग्वालियर महानगर के 30 दिव्यांग बालकों को न्यादर्श में सम्मिलित करते हुए स्व–निर्मित प्रश्नावली बनाकर तथ्यों का संकलन किया तथा सांख्यिकीय विधि का प्रयोग कर निष्कर्ष में पाया कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग बच्चों के लिये योजनाये लाभकारी हैं। वह भारत सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। समाज में दिव्यांग बच्चों को विशेष सुविधायें दी जाती है तथा भारत सरकार के द्वारा प्रदान की गई योजनाओं से उनके सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है।

eq[; 'kCn

ljdkj] fn0;kx ;kstuk] ykHk] lkekftd Lrj-

çLrkouk

भारत में निःशक्त व्यक्तियों के लिये विभिन्न प्रकार के योजनाएँ उपलब्ध कर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। शासन ने अपनी 'राष्ट्रीय नीति' में इस प्रकार की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जिसमें विकलांगो एवं उनसे जुड़े विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों के लिये व्यवस्थाएँ की जाती है।

jk"Vªh; f'k{kk uhfr 1986

भारत सरकार ने दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रारंभ में कोई विशेष नीतियाँ तैयार नहीं की थी किन्तु शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिये महत्वपूर्ण क्रान्ति उस समय देखी गई जब सन् 1966 में शिक्षा आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन मे यह प्रस्ताव रखा गया कि शिक्षण हेतु विकलांगो के महत्वपूर्ण सहयोग के लिए ''समेकित शिक्षण व्यवस्था'' लागू की जानी चाहिए, जिससे दिव्यांगों और गैर दिव्यांग बच्चों के बीच किसी प्रकार के भेदभाव न रहे। ''समेकित शिक्षा न केवल व्यय कम करती है वरन् सामान्य एवं विकलांग बच्चों के बीच अलगाव की भावना को भी दूर करती है।'' वर्ष 1968 में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया कि समेकित शिक्षा भोजन अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात करता है जो कि विकलांगो को सीधे–सीधे शिक्षा से जोड़ती है।

नवीन शिक्षा नीति में दिव्यांग बच्चों का परिचय, बच्चों के साथ आने वाली शैक्षणिक समस्याएँ आदि तत्वों का विशेष उल्लेख किया। दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुविधाऐं देने हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं:

01. जहाँ पर संभव हो अल्प मानसिक दिव्यांगता एवं अन्य दिव्यांगताओं से प्रभावित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए।
02. गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु कम से कम जिला स्तर पर आवासीय विशेष विद्यालय का प्रबन्ध किया जायेगा।
03. दिव्यांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करायें जाये।
04. प्राथमिक शिक्षा के स्तर के लिये शिक्षण – प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे तथा उनमें सुधार करने का प्रयास किया जायेगा।

05 दिव्यांगता शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हर प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

नई शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के अतिरिक्त दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये तथा उनसे संबंधित शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों के लिये कई प्रकार की योजनाएँ बनाई गई, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु अग्रलिखित हैं:

01. जो बच्चे डेसिबल से कम श्रवण दोष से ग्रसित हैं उन्हें श्रवण यंत्र देकर तथा माता–पिता को मार्गदर्शन देकर सीधे सामान्य विद्यालय भेजे।
02. सामान्य स्कूल के शिक्षकों की अल्प अवधि का प्रशिक्षण दिया जाये तथा उन्हें दिव्यांग या बधिर बच्चों की समस्या से परिचित कराया जाये।
03. इन शिक्षकों के अतिरिक्त सामान्य स्कूल के मुख्य प्राध्यापक व प्रवेश मे शिक्षा का संचालन करने वाले मुख्य अधिकारियों को सभी प्रकार की दिव्यांगता के कारण समस्याओं व प्रारूप से अवगत कराया जाये।
04. अधिकारी सहायक उपकरण संबंधी अध्यापन कार्य एवं नियुक्तिकरण आदि जैसे कार्य भी करेंगे।
05. समेकित शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये भारत सरकार सभी राज्यों के शिक्षा विभागों को आवश्यक धन प्रदान करेगी।
06. प्रशिक्षण का कार्य केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर करे तथा जिस विद्यालय मे दिव्यांगों को समेकित किया जाए उन्हें अतिरिक्त धन दिया जाये।
07. इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि सामान्य स्कूल में छोटे एकल इकाई स्थापित किये जाए जिससे दिव्यांगों को विशेष सहायता मिल सके।
08. गंभीर और अति गंभीर दिव्यांगता से ग्रसित विकलांग बच्चों की भी शिक्षा प्रदान करने के लिये व्यवस्था की जाए।
09. ऐसे विशेष विद्यालय खोले जाये जहाँ विशेष शिक्षा प्राप्त शिक्षक दिव्यांगां को शिक्षा प्रदान करें।

इस नीति के लागू होने के पश्चात् स्पष्ट रूप से देखा गया है कि भारत में विकलांग विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, इनके शिक्षा स्तर मे सुधार आया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाये तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा मे

विकलांग अपने शैक्षणिक स्तर का प्रदर्शन करते हैं। किन्तु आज भी ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले अधिकांश विकलांग व्यक्ति शैक्षणिक सुविधाओं से पूर्णतः वंचित है। अतः भारत में शिक्षा नीति को विकलांगों के लिये और अधिक सापेक्ष बनाया जाना चाहिये।

दिव्यांगों को सामाजिक रवैये के कारण कई बार उपेक्षा, उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे वे हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। सामाजिक रूढ़ियों, प्रथाओं, मान्यताओं और समाज में जागरूकता के अभाव के कारण दिव्यागों के प्रति अन्याय होता रहा है, जिसके कारण ये लोग दोयम दर्जे की जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर हैं।

सरकार द्वारा दिव्यांग के लिए बनाई गई योजनाओं से लाभ मिल रहा है और समाज में दिव्यांगों को किस प्रकार देखा जाता है एवं उन्हें क्या सुविधायें मिलती हैं यही शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

'kks/k dk mís';

1. सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजनाओं के लाभों का अध्ययन करना।
2. सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजनाओं से उनके सामाजिक स्तर में सुधार का अध्ययन करना।

'kks/k ifjdYiuk;sa

1. सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजनाओं से दिव्यांगों को लाभ नहीं मिलता है।
2. सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजनाओं से उनके सामाजिक स्तर में कोई सुधार नहीं होता है।

'kks/k fof/k

प्रस्तुत शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया क्योंकि इस शोध समस्या के लिए यही सर्वश्रेष्ठ है।

v/;;u {ks=

इस शोध कार्य हेतु मध्यप्रदेश के ग्वालियर महानगर को चुना गया है।

U;kn'kZ

इस शोध कार्य हेतु ग्वालियर महानगर के 30 दिव्यांग बालकों का चयन किया गया।

'kks/k midj.k

सरकार द्वारा दिव्यांगां के चलाई गई योजनाओं के लाभ एवं उनके सामाजिक स्तर में सुधार का अध्ययन से संबंधित तथ्यों के संकलन हेतु स्व–निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

lkaf[;dh; fof/k

समंकों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया गया है।

rF;ksa dk fo'ys"k.k

rkfydk Ø- 1% क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग बच्चों के लिये योजनायें योजनायें लाभकारी है?

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
(अ)	हाँ	21	70.00
(ब)	नहीं	09	30.00
	योग	30	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि 30 उत्तरदाताओं से पूछने पर क्या आप मानते हैं

सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग बच्चों के लिये योजनायें लाभकारी है? इसके प्रति उत्तर में हाँ में 21 (70.00 प्रतिशत) एवं नहीं में 09 (30 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जवाब दिया।

सर्वाधिक उत्तरदाता मानते हैं कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग बच्चों के लिये योजनाये लाभकारी हैं।

rkfydk Ø- 2% क्या आप भारत सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
(अ)	हाँ	25	83.33
(ब)	नहीं	05	16.67
	योग	30	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि 30 उत्तरदाताओं से पूछने पर क्या आप भारत सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं? इसके प्रति उत्तर में हाँ में 25 (83.33 प्रतिशत) एवं नहीं में 05 (16.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जवाब दिया।

सर्वाधिक उत्तरदाता मानते हैं कि वह भारत सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

rkfydk Ø- 3% क्या समाज में दिव्यांग बच्चों को विशेष सुविधायें दी जाती हैं

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
(अ)	हाँ	24	80.00
(ब)	नहीं	06	20.00
	योग	30	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि 30 उत्तरदाताओं से पूछने पर क्या आप मानते हैं क्या समाज में दिव्यांग बच्चों को विशेष सुविधायें दी जाती है? इसके प्रति उत्तर में हाँ में 24 (80.00 प्रतिशत) एवं नहीं में 06 (20.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जवाब दिया।

सर्वाधिक उत्तरदाता मानते हैं कि समाज में दिव्यांग बच्चों को विशेष सुविधायें दी जाती है।

rkfydk Ø- 4% क्या सरकार के द्वारा प्रदान की गई योजनाओं से सामाजिक स्तर में सुधार हुआ हैं

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
(अ)	हाँ	27	90.00
(ब)	नहीं	03	10.00
	योग	30	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि 30 उत्तरदाताओं से पूछने पर क्या भारत सरकार के द्वारा प्रदान की गई योजनाओं से आपके सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है? इसके प्रति उत्तर में हाँ में 27 (90.00 प्रतिशत) एवं नहीं में 03 (10.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जवाब दिया।

सर्वाधिक उत्तरदाता मानते हैं कि वह भारत सरकार के द्वारा प्रदान की गई योजनाओं से उनके सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है।

fu"d"k

शोध पत्र की प्रथम परिकल्पना सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजनाओं से दिव्यांगों को लाभ नहीं मिलता है, अस्वीकृत होती है क्योंकि सर्वाधिक उत्तरदाता मानते हैं कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग बच्चों के लिये योजनाये लाभकारी हैं तथा वह भारत सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

द्वितीय परिकल्पना–सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजनाओं से उनके सामाजिक स्तर में कोई सुधार नहीं होता है, अस्वीकृत की जाती है। सर्वाधिक उत्तरदाता मानते हैं कि समाज में दिव्यांग बच्चों को विशेष सुविधायें दी जाती है तथा भारत सरकार के द्वारा प्रदान की गई योजनाओं से उनके सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है।

l>ko

- दिव्यांग बालकों को शासन के द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक योजनायें बनाने की आवश्यकता है।
- दिव्यांगों को समाज में उचित स्थान मिले इसके प्रयास करने चाहिए।
- समाज में दिव्यांगों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
- दिव्यांग बच्चों को शासन द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी होना चाहिए।
- विद्यालय में शिक्षक एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे दिव्यांग बच्चों की सुविधाओं के लिए योजनाओं की जानकारी उन्हें दें।

lanHk lwph

1. चटोपाध्याय अंजना, (1986), ऑल इण्डिया डायरेक्ट्री ऑफ एजुकेशनल एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट फार द हैन्डीकैप्ड, पैट्रिएट पब्लि., नई दिल्ली।
2. राना मनी डी., (1988), *फिजीकली हैन्डीकैप्ड इन इण्डिया,* साउथ एशिया बुक 1st एडिशन।
2. शर्मा, वाई. के., (2009), *शारीरिक विकलांग बालक–सिद्धान्त,* प्रक्रिया एवं विकास, कनिष्क पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. सिंह सीमा, (2000), *एजुकेशन रिहेबिलिटेशन ऑफ हैन्डीकैप्ड चिल्ड्रेन,* क्लासिक पब्लि., जयपुर।
4. भार्गव महेश, (2001), *आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन,* पी. भार्गव हाउस, आगरा।

****